विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-29 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
29 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-उठगी तरहार, तहसील-बारा जनपद- प्रयागराज के निवासियों की राजस्व संबंधी समस्या का समाधान कराये जाने हेतु आशुतोष सिन्हा, सभापति संसदीय एवं सामाजिक सदभाव समिति का पत्र दिनांक 29 नवम्बर, 2023 जो कि प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
(ख) यदि हाँ, तो सदस्य के साथ पीडितो के संलग्न प्रार्थना-पत्र के मुख्य बिन्दु क्या-क्या थे और उक्त बिन्दुओं के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?	श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सभापति, संसदीय एवं सामाजिक सदभाव समिति का पत्र दिनांक 29 नवम्बर, 2023 प्रार्थिनी श्रीमती रीता देवी व अन्य प्रार्थीगण ग्राम सभा उठगी तरहार, तहसील बारा, जनपद प्रयागराज द्वारा श्री विजय कुमार पुत्र श्री शीतला प्रसाद निवासी ग्राम जोधी मझियारी, तहसील बारा, जनपद प्रयागराज से गाटा सं0-207 में क्रय की गयी भूमि पर विक्रेता द्वारा प्रार्थिनी एवं अन्य क्रेतागण को कब्जा न दिये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में है। प्रश्नगत प्रकरण में क्रेतागण व विक्रेतागण के साथ स्थलीय जांच की गयी। क्रेती फूलकली पत्नी पूर्णमासीदीन निवासिनी ग्राम ओठगी तरहार द्वारा आराजी सं0-207 रकबा 0.607 हे0 में से रकबा 0.0340 हे0 के पंजीकृत बैनामा सं0-3059, दिनांक 22/04/2021 हेतु उ0प्र0 प्रदेश ग्रामीण बैंक, शाखा लालापुर के चेक सं0-494372 के माध्यम से भुगतान किया गया है। विक्रेता विजय कुमार द्वारा बताया गया कि उन्हें क्रेता से महज 50,000/- रू0 नगद प्राप्त हुए हैं। उक्त चेक से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि क्रेती फूलकली द्वारा बताया गया कि 3,00,000/- रू0 नगद दिया जा चुका है। क्रेती रीता देवी पत्नी देशराज प्रजापति नि0 ग्राम ओठगी तरहार द्वारा आ0 सं0-207 रकबा 0.607 हे0 में से रकबा 0.0340 हे0 पंजीकृत बैनामा सं0-2517, दिनांक 24/03/2021 जरिये आर0टी0जी0एस0 कुल 3,00,000/-रू0 में क्रय किया गया है। विक्रेता विजय कुमार द्वारा बताया गया कि उन्हें महज 50,000/- रू0 प्राप्त हुआ है। क्रेती द्वारा बताया गया कि बैनामे में आ0टी0जी0एस0 लिखा है लेकिन नगद कैश 3,00,000/-रू0 दिया गया है। क्रेता रावेन्द्र कुमार पुत्र खुशीलाल प्रजापति नि0 ग्राम ओठगी तरहार द्वारा आ0सं0-207 रकबा 0.607 हे0 में से रकबा 0.0340हे0 पंजीकृत बैनामा सं0-4115, दिनांक 28/06/2021

आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से कुल 3,00,000/-रू0 में क्रय किया गया, जबकि विक्रेता विजय कुमार द्वारा बताया गया कि उनके एच0डी0एफ0सी0 बैंक के खाते में 1,00,000/- रु0 प्राप्त हुआ है।

ज्योति पत्नी चन्द्रभान नि0 ग्राम ओठगी तरहार द्वारा आ0सं0-207 रकबा 0.607 हे0 में से रकबा 0.0230 हे0 पंजीकृत बैनामा सं0-3228, दिनांक 10/05/2021 हेतु आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से 2,00,000/- रू0 दिया गया है, जिसका उल्लेख बैनामें में किया गया है। विक्रेता विजय कुमार द्वारा बताया गया है कि महज 50,000/ रू0 कैश प्राप्त है। क्रेती द्वारा बताया गया कि 2,00,000/-रू0 कैश दिया गया है।

उक्त पंजीकृत बैनामा का न्यायालय नायब तहसीलदार शंकरगढ़ से नामांतरण आदेश पारित हो चुका है। विक्रेता द्वारा आदेश के विरूद्ध पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार शंकरगढ के न्यायालय में विचाराधीन है। इसके सम्बंध में बैनामा निरस्तीकरण हेतु सिविल जज कनिष्ठ श्रेणी, इलाहाबाद के न्यायालय में दीवानी वाद सं0-2797 सन् 2022 विजय कुमार बनाम ज्योति, मुकदमा सं0-2800 सन् 2022 विजय कुमार बनाम रावेन्द्र कुमार, मुकदमा सं0-2799 सन् 2022 विजय कुमार बनाम श्रीमती फूलकली व मुकदमा सं0-2798 सन् 2022 विजय कुमार बनाम श्रीमती रीता देवी आदि विचाराधीन हैं। क्रेतागण का कथन है कि उनके द्वारा क्रय की गयी भूमि का नगद भुगतान कर दिया गया है, कोई भुगतान शेष नहीं है और विक्रेतागण द्वारा बताया गया कि सम्पूर्ण भुगतान प्राप्त नहीं है, महज आंशिक भुगतान किया गया है। उभय पक्षों के बीच सुलह समझौता कराने का प्रयास किया गया किन्तु सहमति न होने के कारण तथा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के दृष्टिगत उभय पक्ष न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?

उपर्युक्तानुसार।

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उ0प्र0।